संख्या-91/2023/59रासनि/23-1-23/007-07आरएसएन/2022टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 13 जनवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से मुरादाबाद मण्डल के विभिन्न जनपदों के 20 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2668/CE-HQ-1/RSN 5054/MBD/2022-23, दिनांक 03.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार मुरादाबाद मण्डल के विभिन्न जनपदों के 20 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 4,99,90,000 लाख (रूपये चार करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.-2 बिजनौर	मोटा महादेव से भागूवाला मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	45/2021/47 रासनि/23-1-21-81 रासनि/20-दिनांक-08-02-2021	839.81	682.34	1.51	155.96	155.96
2	नि.ख.-2 बिजनौर	ताजपुर रवाना सैदपुर मार्ग से कमला की पुलिया से गांगन पुल की एप्रोच तक मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	372/2021/1203 रासनि/23-1-21-46 रासनि/20 टी0सी0-दिनांक-28-12-2021	43.81	13.83	0.59	29.39	29.39
3	नि.ख.-2 बिजनौर	हरवेली कुआंखेडा मार्ग के किमी 1 से परमावाला मार्ग से यूनाइटेड फार्म के बोर्ड तक मार्ग का नवनिर्माण	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	80.41	15.53	0.55	64.33	64.33
4	प्रा.ख. बिजनौर	धामपुर नूरपुर मार्ग से पल्लावाला मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20-दिनांक-17-03-2021	93.12	81.92	5.20	6.00	6.00
5	प्रा.ख. बिजनौर	मनकुवा से बक्सनपुर मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20-दिनांक-17-03-2021	63.01	58.07	2.94	2.00	2.00
6	प्रा.ख. बिजनौर	दौलतपुर से सलावा मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20-दिनांक-17-03-2021	101.68	71.34	10.34	20.00	20.00
7	प्रा.ख. बिजनौर	खुर्द कादराबाद मार्ग से मलकपुर मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	96/2021/198 रासनि/23-1-21-91 रासनि/20-दिनांक-17-03-2021	115.66	103.23	5.43	7.00	7.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	प्रा.ख. बिजनौर	स्वाहेड़ी से नंगला की ओर मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	60.33	53.34	3.99	3.00	3.00
9	प्रा.ख. बिजनौर	किरतपुर से रतनगढ़ शादीपुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	98.87	89.11	3.69	6.07	6.07
10	प्रा.ख. बिजनौर	डल्लू धनौरा मार्ग के आबादी भाग में सीसी व नाली निर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	12.31	10.08	0.21	2.02	2.02
11	प्रा.ख. बिजनौर	जमालपुर नारायणखेड़ी मार्ग से शेखपुर लाला आबादी भाग में सीसी व नाली निर्माण का कार्य। (छूटी कड़ी)	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	18.5	15.77	0.28	2.45	2.45
12	प्रा.ख. बिजनौर	माहू नंगली से मुरशदपुर मार्ग की छूटी कड़ी के नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	66.78	58.49	1.05	7.24	7.24
13	प्रा.ख. बिजनौर	शमशाबाद से बिहारी का खेत मार्ग के छूटी कड़ी के अन्तर्गत नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	37.68	26.38	8.28	3.02	3.02
14	प्रा.ख. बिजनौर	मिलक मुकीमपुर शमशानघाट मार्ग से शेरपुर बल्ला तक छूटी कड़ी का नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	109.84	97.01	0.32	12.51	12.51
15	प्रा.ख. बिजनौर	रायपुर मलिहाबाद से आम वाले देवता तक नवनिर्माण का कार्य।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	35.32	32.66	0.36	2.30	2.30
16	प्रा.ख. बिजनौर	ढक्का मिलक जागीराबाद मार्ग से मिलक मुकीमपुर मार्ग से सेढी मार्ग	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	12.4	10.2	1.20	1.00	1.00
17	प्रा.ख. बिजनौर	तरकोली मदन में अन्त्येष्टी स्थल तक छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	157/2021/231 रासनि/23-1-21-46 रासनि/20 टीसी-दिनांक-19-07-2021	18.6	14.96	1.64	2.00	2.00
18	प्रा.ख. बिजनौर	पानीपत खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग सं0-12) के किमी-162 में ध्वस्त ऑर्च पुलिया के स्थान पर 4 गुणे 4 मी0 स्पान की 1 दर की बॉक्स कल्वर्ट, पहुँच मार्ग व डायवर्जन का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	62.6	12.11	0.84	49.65	49.65
19	प्रा.ख. रामपुर	चड्डा पेपर मिल से करतारपुर सुआ नगला मार्ग के किमी-11 से बिडुआनगला मार्ग	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	128.75	103	16.62	9.13	9.13
20	नि.ख. अमरोहा	जनपद अमरोहा के मुहम्मदपुर बांगर चकोरी मार्ग से डोमखेडा मार्ग के छूटे भाग का नव निर्माण का कार्य।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	127.70	12.77	0.10	114.83	114.83
							कुल योग-	499.90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 4,99,90,000 लाख (रूपये चार करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-91/2023/59रासनि(1)/23-1-23/007-07आरएसएन/2022टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।